मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रतनसिंह आदि बनाम राजेन्द्र आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 152/2021

निर्णय दिनांक :– 23.11.2021

वादी की ओर से वकील नवीन गोयल की व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से वकील राजेन्द्र कुमार जांगिड की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख........ को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा [illegible] के खाता सं० 89/83 में खसरा सं० 408 की 13.030 हे० बारानी खातेदारी कृषि भूमि में रतीराम पि० अमरसिंह के नाम 42½ हिस्सा व विजयसिंह वल्द धर्मपाल के नाम से 85 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड में रतीराम पि० अमरसिंह के स्थान पर रतनसिंह पि० अमरसिंह व विजयसिंह वल्द धर्मपाल के स्थान पर विजेन्द्र सिंह वल्द धर्मपाल की घोषणा की जाती है उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.31 10:48:53 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प

Scanned with CamScanner